

बिहार सरकार
मन्त्रमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौहान,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
सरकार के सभी सचिव
सरकार के सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15 दिनांक 30 जनवरी, 2006

विषय- मन्त्रपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले सलेखों के संबंध में ।
संलग्न:- विभागीय पत्रांक 776, दिनांक 27/4/2001/523 दिनांक 24/2/2004.
साहाय्यिक

उपर्युक्त बिषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मन्त्रपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले सलेखों के संबंध में मार्गदर्शन दिए गये थे जिसकी कड़िका-"3" में सशोधन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

" सम्प्रति हिन्दी सलेख की 50 प्रतियाँ ही भेजी जाय के स्थान पर 50 प्रतियाँ ही भेजी जाय । "

2 मन्त्रपरिषद् की स्वीकृति अनुमोदन हेतु के लिए भेजे जाने वाले सलेखों के साथ नियमावली/अधिनियम/नियम जो सलग्न कर परिशिष्ट के रूप में भेजे जायें, वे पठनीय स्वच्छ एवं कम्प्यूटरीकृत होनी चाहिये ।

अतः उक्त मार्गदर्शन का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ की जाय ।

विश्वास भोजन,
श्री अशोक कुमार चौहान
सरकार के सचिव ।

30/1/06